राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.4 (ई) नि.प./(60/2011)/अलेसे–III/ 9262-9270 दिनांक :– 23/9/2013

आदेश संख्या 243 / 2013–14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थी को एतद् द्वारा राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन कनिष्ठ लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 11100/– (ग्यारह हजार एक सौ रूपये) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् पे–बेण्ड(2) 9300–34800 में ग्रेड पे 3600 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वे उनके नाम के सामने अंकित विभाग/ कार्यालय में दिनांक 04.10.2013 तक अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से देकर इस विभाग को सूचित करेगें अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेगें ।

क्र. स.	मेरिट कमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	60	715170	अरविन्द कुमार शर्मा/ श्री श्याम सुन्दर शर्मा 22, सन्त बन्धु नगर, ओम मेरिज गार्डन के पीछे, अल्का सिनेमा के पास, सीकर रोड, जयपुर– 302039 ।	15-9-1978	जयपुर	GE	कोषालय, चित्तोडगढ़	

उपरोक्त अभ्यर्थी की कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जा रही है:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों औरं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक,सी.आई.डी (सीबी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण– पत्र की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
5. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
6. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
9. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण / अर्हता प्राप्त कर लेने पर इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्ति माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।

यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई) नि.प./(60/2011)/अलेसे–III/ 9262-9270
दिनांक :– 23/9/2013

प्रतिलिपिः–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करायें।
4. श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा 22, सन्त बन्धु नगर, ओम मेरिज गार्डन के पीछे, अल्का सिनेमा के पास, सीकर रोड, जयपुर– 302039 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम सख्या 8 में दिंनाक 04.10.2013 तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
5. उप निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक।
7. गोपनीय शाखा ।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)